# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 149/2025 G.C.M.S. No. 2025/650 दर्ज दिनांक : 18.09.2025**

**अपीलार्थिगण:**

उत्तम सिंह पुत्र मन्ने सिंह जाति राजपुत निवासी बोरवाडा तहसील सायला जिला जालोर

बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

1. हेम सिंह पुत्र मन्ने सिंह जाति राजपुत निवासी बोरवाडा तहसील सायला जिला जालोर
2. हिरालाल पुत्र प्रतापजी जाति कलबी निवासी बोरवाड़ा तहसील सायला जिला जालोर

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2024 बअनवान हेम सिंह बनाम उत्तम सिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम**

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**पैरोकार:–**

1. श्री शम्भुदान आशिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित

## निर्णय

**दिनांक: 02.02.2026**

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2024 बअनवान हेम सिंह बनाम उत्तम सिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2025 आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी ने एक दावा सहायक कलेक्टर सायला के न्यायालय में पेश कर बताया कि उसकी व प्रतिवादीगण अपीलांट की सयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि सरहद मौजा बोरवाडा के खसरा संख्या 697 रकबा 16.64 हैक्टर की आई हुई है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा बनता है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने आगे कथन किया कि उक्त पुश्तैनी भुमि का मौके पर पूर्व में ही बंटवाडा हो चुका है तथा उसी अनुसार मौके पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व अपीलांट प्रतिवादी कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपना कब्जा परिशिष्ठ अ के मार्क ए. बी. सी. डी. ई. एफ. के अनुसार बताकर इस भुमि का बंटवाडा करवाने का निवेदन किया। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर सायला द्वारा अपीलांट का जवाब बंद कर तथा साक्ष्य का मौका न देकर अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री व आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने पूर्व में ही उक्त भुमि का बंटवाडा होना बताकर अपना कब्जा विशेष भु–भाग ए.बी.सी.डी.ई.एफ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

पर होना बताकर उस भुमि को अपने नाम बंटवाडा में अलग करने का निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस भूमि के कुल रकबा 16.64 हैक्टर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस द्वारा बंटवाडा मौके पर जाकर करने का आदेश दिया। अपीलांट को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता तो उक्त भूमि से संबधित वास्तविक मौका व रेकर्ड की स्थिति प्रस्तुत की जाती जिससे माननीय अधीनस्थ न्यायालय को उचित व सही निर्णित करने में सुविधा होती। अपीलाधीन डिक्री व आदेश प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से निरस्तनिय है। अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण उचित सुनवायी व निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय प्रेषित करावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन वं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2025 पारित की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री समन्दर सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत की गयी। प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर बन्द किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस के उपरांत दिनांक 25.08.2025 को वादग्रस्त आराजी के संबध में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा किये जाने हेतु अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी।
3. खातेदारी आराजी के विभाजन में वस्तुतः सहखातेदारान के हिस्सों का निर्धारण व आराजी का मौके व रेकर्ड में हिस्सानुरूप विभाजन अपेक्षित होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन बाबत डिक्री पारित की गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार सहमति के अभाव में न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन डिक्री के माध्यम से किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्तावित किया गया है। जिसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुए अपेक्षित होता है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदारान के मध्य हिस्से से संबधित किसी प्रकार का विवाद अंकित नहीं किया है

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

न ही इस संबंध में कोई उज्र लिया है। अतः इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2024 बअनवान हेम सिंह बनाम उत्तम सिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2025 की पुष्टि की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की अनुपालना करवाते हुए उभयपक्षकारान को विधिवत सूचित करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर प्रकरण में विधिनुरूप अग्रिम कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner